नामक एक स्कीम शुरू की है। गुजरात की स्कीम न्यूनतम बेरोजगारी काग्रक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित होती है । इस, स्कीम के अंतर्गत लक्ष्य वर्ग अर्थात गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवार का प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को रोजगार/रोजगार/प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । गोआ में, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत व्यक्तियों को "एक परिवार में एक नौकरी" स्कीम के अंतर्गत प्रस्तुति एंव नौकरी दिलाने में प्राथमिकता दी जाती है। हरियाणा स्कीम, 1992 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे और रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत ऐसे आवेदकों, जिनके परिवार का कोई सदस्य किसी प्रकार के रोजगार में नहीं है, ऐसे 5 लाख व्यक्तियों को आठवीं योजना अवधि के दौरान रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं, उठता।

Commission on Labour Standards and International Trade

1109. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:
SHRI K.R. MALKANI:
MISS SAROJ KHAPARDE:
SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government had constituted a two-member Commission on Labour Standards and International Trade last year;

(b) if so, whether the Commission has submitted its report to Government;

(c). if so, the details thereof;

(d) whether there was no consensus between the members regarding this report;

(c) if so, the facts in this regard;

(f) whether Government have extended the term of this Commission; and

(g) if so, the period thereof and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government had constituted a Commission for the 'Study of Issues Concerning the Protection of Labour Rights and Related Matters' under the Chairmanship of Dr. Sub-ramanian Swamy on 3rd August, 1994. The Commission consisted of S/Shri S.L. Passey and A.V. Ganesan as Members. Shri Ganesan, however, did not join the Commission. The name of the Commission was later on changed to 'Commission on Labour Standards'.

(b) On February 27, 1996 the Commission made a brief presentation on the basis of a draft final report and is now in the process of finalising its Reports.

(c) to (e) Do not arise.

(f) and (g) The term of the Commission has been extended upto 30.4.96 to enable it to finalise and present its Reports.

Study on Employment in Tobacco Sector

1110. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain trade unions have made the suggestions to constitute a body for conducting an intensive and extensive study on country-wide employment in the tobacco sector;

(b) whether it is a fact that tobacco growers will also be included under the ambit of this study; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Ministry of Health and Family Welfare have set up an Expert Committee to undertake a comparative study on the economics of tobacco use *inter-alia* examining the tax revenue and foreign exchange earnings, employment and consumer expenditure on the one hand and the cost of tertiary level medi-

cal care facilities for treatment of tobacco related diseases, losses due to fire hazard, ecological damage due to deforestation and disposal of tobacco related waste on the other hand with a view to making an economic study of the impact of tobacco consumption.

राज्य व्यापार निगम का गैर सरकारीकरण

1111. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम की कार्यशैली और उसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने और उसमें आवश्यक परिवर्तन करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम आयातकों/निर्यातकों पर कठोर शर्तें लगा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां पर बड़े पैमाने पर कदाचार और नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है,

(ड.) क्या सरकार ने उक्त निगम के निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है,और

(च) राज्य व्यापार निगम और वाणिज्य संबंधी संसदीय अस्थाई समिति के बीच हुई बैठकों का क्या परिणाम रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.चिदम्बरम) : (क)और (ख) एस.टी.सी. के जरिए अब तक किए जा रहे अनेक मदों के आयात और निर्यात के सरणीयन को समाप्त कर दिए जाने के फलस्वरूप सरकार का उदारीकृत अर्थ व्यवस्था और प्रतिस्पर्धा वातावरण के अनुकूल एस.टी.सी. को पुनः पूर्व-स्थिति में लाने की जरूरत की समीक्षा करती रही है । अपने व्यापार क्रिया-कलपों के विस्तार के एक भाग के रूप में खासकर गैर-सरणीकृत क्षेत्र में, एस.टी.सी. द्वारा निम्नलिखित कार्य-योजनाओं को अपनाकर प्रमुख कार्य-क्रमों का विविधकरण किया जा रहा है:-

-प्रत्यक्ष खरीद एंव बिक्री पर अधिक बल देकर,

- विदेशी विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर,

- संयुक्त उद्यमों में प्रवेश के जरिए,

- ओ.जी.एल. आयात करके,

- घरेलु व्यापार का विस्तार करके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ड.) एस.टी.सी. ने वाणिज्य मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और समझौता ज्ञापन के अनुसार एस.टी.सी. के कार्य-निष्पादन की समीक्षा अर्द्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है ।

(च) स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों एस.टी.सी. और एमएमटीसी का विलय करने के और विदेश में इन दोनों संगठनों द्वारा एक की कार्यालय में हिस्सेदारी करने के बारे में थी । संसदीय समिति के विचारार्थ कृत कार्रवाई का एक उत्तर 23 जनवरी, 1996 को पहले ही राज्य सभा सचिवालय को भेजा जा चुका है ।

Per Capita income in Super Bazar

1112. SHRI GOVINDRAM MIR1: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether per capita income in the Super Bazar has increased or decreased in 1994-95 as compared to 1992-93 and 1993-94;

(b) if so, the per capita income in the Super Bazar in 1992-93, 1993-94 and 1994-95: and

(c) the estimated per capita income in the Super Bazar during the first three months of the current financial year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) It has been reported by the Super Bazar that the per capita income has increased during the year 1994-95 compared to 1992-93 and 1993-94.

(b) The per capita income during the last three years furnished by Super Bazar is as follows: